केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीएसटीएस - गुवाहाटी

CIPET/GHY/PER/N-C-0/83/2023-24

Date: 04.12.2023

आदेश/ORDER

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन-तत्संबंधी।

Sub: Re-Constitution of Internal Complaint Committee for Sexual Harassment of women at Workplace-reg.

Ref: CIPET - Guwahati Committee dated 16.07.2019 and 05.12.2022

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियमों और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

The Internal Complaint Committee is reconstituted with the following members in accordance with the rules and regulations of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) ACT, 2013.

- 1. श्रीमती मिताली राय, वरिष्ठ तकनीकि सहायक
- 2. श्री उत्पल बैश्य, अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
- 3. श्रीमती नमिता शर्मा बरुआ, वरिष्ठ प्रशा सहायक
- 4. श्रीमती चंद्रिमा बरुआ महंत नकनीशियन ग्रे.।
- 5. श्रीमती मोनमीमी गोहाई, सहायक प्रोफेसर

- अधक्य / Chairman
- सदस्य / Member
- सदस्य / Member
- सदस्य सचिव / Member Secretary
- -बाहरी सदस्य / External Member

एनएलयू , असम यह आंतरिक शिकाय्त समिति इस आदेश की तारीख से एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

This Internal Complaint Committee shall be valid for one year from the date of this order or until further order whichever is earlier.

प्रधान निदेशक एवं प्रमुख /Principal Director & Head

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1. सभी संबंधित अधिकारी/All Committee members
- 2. फ़ाइल/File
- 3. नोटिस बोर्ड / Notice Board